

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी आर.ए.एस.

अपील संख्या 187/23
(जीसीएमएस संख्या 2023/255)

निर्णय दिनांक: 28-12-2023

1. मांगीलाल पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी डूडीवाली तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 20-03-1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक


-निर्णय-



अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 20-03-1985 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा अन्यत्र भूमि होने का शपथ पत्र पेश नहीं करने के कारण अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कृषक होने के तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा अन्यत्र भूमि होने का शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-03-1985 के विरुद्ध अपील दिनांक 06-09-23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-03-1985 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 06-09-2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा अन्यत्र भूमिहीन नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।



प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि क्या अपीलांट के धारण में अन्यत्र भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जाँच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है।

प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्यत्र भूमि नहीं होने का शपथ पत्र पेश नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ

20/9
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तमाम सबूत आदि प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

6.

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-03-1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।



निर्णय आज दिनांक 28/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर